बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु संचालित योजनाएँ
खण्ड (अ)

बालिका प्रोत्साहन योजनाएँ–

1. आपकी बेटी योजना
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका (आवासीय) विद्यालय
3. कस्तूरबा गाँधी एस.टी.डी.आर. योजना
4. गार्गी पुरस्कार योजना
5. इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना
6. कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना
7. बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा
8. ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना
9. निःशुल्क साईकिल वितरण योजना
10. माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना
11. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति योजना
12. निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना
13. अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधा
14. (अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मेधावी छात्राओं के लिए) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना
15. राजीव गाँधी किशोरी सशक्तीकरण योजना– सबला
16. अमलगमेटेड फण्ड से भूतपूर्व सैनिको की पुत्रियों छात्राओं को दी जाने वाली सहायता/छात्रवृति
17. केन्द्रीय विद्यालय में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन
18. शारदेय बालिका छात्रावास (रमसा द्वारा संचालित)
19. बालिका खेल प्रतिभा विकास योजना
20. एकल/द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजना

1. आपकी बेटी योजना

योजना का नामः आपकी बेटी योजना

योजना का संक्षिप्त परिचयः योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएँ जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की हैं, तथा जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो को लाभान्वित किया जाता है कक्षा 1 से 8 में ऐसी पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को 1100 रुपये प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 1500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रारम्भ होने का वर्षः 2004–05

पात्रताः राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएँ जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की हैं, तथा जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है।

आवेदन का तरीकाः संस्था प्रधान के माध्यम से नियंत्रक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को आवेदन।

आवेदन किसे किया जावेः संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को।

आवेदन के साथ औपचारिकताएंः

- बी.पी.एल. कार्ड नम्बर।
- माता–पिता दोनों अथवा एक के निधन का प्रमाण पत्र।
- नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र एवं पूर्व कक्षा की अंकतालिका छात्रा के दो फोटो।

सम्पर्क सूत्रः संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक) एवं उप सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, झालाना डूंगरी, जयपुर।

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिले का जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग।

2. कस्तूरबा गाँधी बालिका (आवासीय) विद्यालय (KGBV)

क्षेत्र– सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉक में तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी क्षेत्रों में कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिर पर मेला ढोने वाले परिवारों की बालिकाओं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएँ उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6, 7 एवं 8) में निःशुल्क अध्ययन करती हैं। इन्हें अध्ययन के साथ–साथ समस्त सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकास खण्ड, जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है तथा जैंडर गैप (पुरूष साक्षरता दर तथा महिला साक्षरता दर का अंतर) 20 प्रतिशत से अधिक है, उनमें केजीबीवी संचालित हैं तथा राज्य के 14 शहरी क्षेत्रों, जिनमें अल्पसंख्यक 20 प्रतिशत से अधिक निवास करते हैं उनमें 14 अल्पसंख्यक केजीबीवी संचालित हैं। इस प्रकार राज्य में कुल 200 केजीबीवी संचालित हैं।

उद्देश्य तथा संकल्पना– इन विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्गों की उन बालिकाओं को जोड़ना है, जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गम आवास संस्थानों में रहते हुए किसी भी कारणवश (यथा–सामाजिक, आर्थिक पारिवारिक आदि), विद्यालय नहीं जा सकीं अथवा विद्यालय छोड़ने से जिन बालिकाओं की आयु अधिक हो चुकी है।

केजीबीवी में देय निःशुल्क प्रावधान–

- सभी बालिकाओं को आवास।
- पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री।
- स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते–मोजे।
- दैनिक उपयोग की वस्तुएँ यथा–साबुन, तेल, तोलिया, टूथ–पेस्ट, कंघा, चप्पल, सेनेटरी नेपकिन इत्यादि।
- प्रतिमाह 50/– स्टाई फण्ड राशि भ्रमण अथवा अन्य निजी उपयोग हेतु।

केजीबीवी में प्रदत्त सुविधाएँ–

– NIOS मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण।

– कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

– शैक्षणिक भ्रमण।

– खेलकूद प्रतियोगिताएँ।

– प्रतिमाह निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा दवाओं की सुविधा।

– शैक्षिक किशोरी मेले।

3. कस्तूरबा गाँधी एस.टी.डी.आर. योजना

योजना का नामः कस्तूरबा गाँधी एस.टी.डी.आर. योजना।

योजना का संक्षिप्त परिचयः राज्य में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहकर स्नातक स्तर तक की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधी जमा रसीद (एस.टी.डी.आर.) के रूप में कक्षा 10 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000 रुपये की एस.टी.डी.आर. पांच वर्ष की अवधि की देय है, तथा कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली पात्र छात्रा को 4000 रुपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की अवधि की देय है।

प्रारम्भ होने का वर्षः 2007–08

लाभान्वित वर्गः कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राएँ।

पात्रताः KGBV में नियमित अध्ययनकर कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा तथा कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली छात्रा।

आवेदन का तरीकाः	संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को संस्था–प्रधान के माध्यम से आवेदन करना होता है।
आवेदन किसे किया जावेः	संबंधित संस्था प्रधान को
आवेदन के साथ औपचारिकताएंः	आवेदन पत्र, फोटो, एवं बोर्ड प्रदत्त अंक–तालिका
सम्पर्क सूत्रः	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

4. गार्गी पुरस्कार योजना

योजना का नामः	गार्गी पुरस्कार योजना
योजना का संक्षिप्त परिचयः	दसवीं कक्षा में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 3000 रु. 11वीं कक्षा में तथा 3000 रु. 12वीं कक्षा में दिये जाते हैं।
प्रारम्भ होने का वर्षः	1998
लाभान्वित वर्गः	समस्त वर्ग की बालिकाएँ
पात्रताः	वे सभी बालिकाएँ पात्र होंगीं जिन्होंने कक्षा 10 में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हो।
देय सुविधाएँः	3000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से दो वर्ष तक
आवेदन का तरीकाः	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची के अनुसार निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाती है।
आवेदन किसे किया जावेः	आवश्यकता नहीं
आवेदन के साथ औपचारिकताएंः	आवश्यकता नहीं
सम्पर्क सूत्रः	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं उप सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

5. इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना

योजना का नामः	इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना
योजना का संक्षिप्त परिचयः	माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की ऐसी बालिकाओं को जिन्होंने बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।
प्रारम्भ होने का वर्षः	यह योजना वर्ष 2010–11 से लागू हुई
लाभान्वित वर्गः	सामान्य, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अ.पि.वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की बालिकाएँ
पात्रताः	उक्त वर्ग की कक्षा–10 एवं 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएँ
देय सुविधाएंः	कक्षा 10 में उत्तीर्ण छात्राओं को 75,000 रुपये एवं कक्षा–12 में उत्तीर्ण छात्राओं को 1,00,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है।
आवेदन का तरीकाः	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से उक्त वर्गों की मेरिट लिस्ट में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची के आधार पर (आवेदन करने की आवश्यकता नहीं)
आवेदन किसे किया जावेः	आवेदन करने की आवश्यकता नहीं
आवेदन के साथ औपचारिकताएंः	आवश्यकता नहीं
सम्पर्क सूत्रः	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (माध्यमिक)
शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

6. कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना

योजना का नामः कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार योजना

योजना का संक्षिप्त परिचयः कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एकमुश्त 5000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है।

प्रारम्भ होने का वर्षः 2008–09

पात्रताः गत सत्र में कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं जिनके अभिभावकों की आय, व्यवसाय एवं वर्ग आदि का कोई बंधन नहीं है।

देय सुविधाएँः 5000 रुपये (एक वर्ष)

आवेदन का तरीकाः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित गत सत्र की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची के अनुसार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाती है।

आवेदन किसे किया जावेः संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को

सम्पर्क सूत्रः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

7. बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा

योजना का नामः विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा

योजना का संक्षिप्त परिचयः माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराना।

प्रारम्भ होने का वर्षः यह योजना वर्ष 2010–11 से लागू हुई

पात्रताः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएँ

देय सुविधाएंः उक्त तीन छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा की सुविधा

आवेदन का तरीकाः साधारण पेपर पर सहमति का अण्डर टेकिंग लेना

आवेदन किसे किया जावेः अभिभावक की सहमति पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना

आवेदन के साथ औपचारिकताएंः निर्धारित 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अभिभावक की सहमति एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना

सम्पर्क सूत्रः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (माध्यमिक शिक्षा)

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

8. ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना

योजना का नामः	ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रान्सपोर्ट वाउचर की योजना
योजना का संक्षिप्त परिचयः	ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं को उनके निवास स्थान से विद्यालय तथा विद्यालय से निवास स्थान तक आने जाने (UP-DOWN) करने के लिए ट्रॉन्सपोर्ट वाउचर की सुविधा। निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 कि.मी. से अधिक होनी चाहिए तथा न्यूनतम पाँच बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है।
प्रारम्भ होने का वर्षः	2007–08
पात्रताः	1. ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएँ जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययन कर रहीं हों। 2. इन बालिकाओं के निवास स्थान से अध्ययनरत विद्यालय के बीच की दूरी 5 कि.मी. से अधिक हो। 3. न्यूनतम पाँच बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है।
देय सुविधाएँः	विद्यालय में अध्ययन हेतु आने–जाने वाली प्रत्येक बालिका को 20 रुपये प्रति बालिका प्रति उपस्थिति दिवस अथवा विद्यालय आने–जाने का वास्तविक किराया जो भी कम हो देय है।
आवेदन का तरीकाः	निर्धारित आवेदन पत्र में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को आवेदन करना होता है।
आवेदन किसे किया जावेः	संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान
आवेदन के साथ औपचारिकताएंः	आवेदन पत्र के साथ बालिका के निवास स्थान का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होता है।
सम्पर्क सूत्रः	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं सचिव, विद्यालय विकास समिति।
शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

9. निःशुल्क साईकिल वितरण योजना

योजना का नामः साईकिल वितरण योजना

योजना का संक्षिप्त परिचयः समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रविष्ट बालिकाओं एवं सत्र 2012–13 में साईकिल से वंचित छात्राओं को सत्र 2013–14 में साईकिल क्रय हेतु राशि 2500 चैक द्वारा भुगतान किया गया है।

प्रारम्भ होने का वर्षः यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू हुई

लाभान्वित वर्गः इस सत्र (2013–14) से समस्त छात्राएँ जिन्होंने IX में नियमित प्रवेश लिया हो।

10. माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

योजना का नामः National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education

योजना का संक्षिप्त परिचयः माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत राजकीय/अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं के लिये प्रोत्साहन योजना।

प्रारम्भ होने का वर्षः 2008–09

पात्रताः
1. बालिका अनुसूचित जाति/जन जाति एवं कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन कर रही हो।
2. बालिका ने गत सत्र में कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो।
3. बालिका की आयु (आवेदित वर्ष में) 31 मार्च को 14 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम हो।
4. बालिका अविवाहित हो।

देय सुविधाएँः 3000 रुपये की एफ.डी.आर. (परिपक्वता 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर)

आवेदन का तरीकाः संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) को संस्था प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाये जाते हैं।

आवेदन किसे किया जावेः संबंधित संस्था प्रधान को

11. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना

योजना का नामः राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना

योजना का संक्षिप्त परिचयः राजस्थान के भूतपूर्वक सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2001–02 से प्रारम्भ की गई है।

प्रारम्भ होने का वर्षः 2001–02

लाभान्वित वर्गः भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएँ

पात्रताः

1. छात्रा के माता–पिता आयकरदाता नहीं हो।
2. छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं है।
3. नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं को यह छात्रवृत्ति देय है जिसमें सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की छात्राएँ पात्र हैं।
4. गत कक्षा में 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

देय सुविधाएँः 1000 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष

आवेदन का तरीकाः आवेदन पत्र के साथ छात्राओं द्वारा भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/परिचय पत्र संलग्न कर सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित करवाकर संस्था प्रधान को जमा करवाना।

आवेदन किसे किया जावेः आवेदन पत्र संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होता है

सम्पर्क सूत्रः संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) एवं संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

12. निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाती है।

पात्रताः

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राएँ जिन्होंने सत्र 2012–13 से कक्षा 10वीं, 12वीं में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा उनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हों एवं छात्राएँ आगे अध्ययन कर रहीं हों।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़े वर्ग की ऐसी छात्राएँ जिन्होंने सत्र 2012–13 से कक्षा 10वीं, 12वीं में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा उनके माता–पिता आयकर दाता नही हों एवं छात्राएँ आगे अध्ययन कर रहीं हों।

13. अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधा

वर्ष 2010 की बजट घोषणा संख्या 82 की क्रियान्विति के संदर्भ में जयपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रावास भवन निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु जमीन का आवंटन राजस्थान आवासन मंडल द्वारा शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर में 3268.92 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन कर दिया गया है। फिलहाल इस सत्र में छात्रावास संचालन हेतु अंजुमन तालीमुल मुस्लिमिन संस्था, जयपुर का चयन किया गया है एवं विभाग द्वारा प्रवेश नियम बना लिये गये हैं। जयपुर में बालिका छात्रावास का प्रारम्भ 2 अप्रैल 2011 से हो गया है तथा छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

बजट घोषणा वर्ष 2011 के अनुसरण में राज्य के समस्त सम्भागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास स्थापित किये जायेंगे। कोटा में कोटा शिक्षण संस्थान एवं अजमेर वाई.एम.सी.ए. अजमेर में नये बालिका छात्रावास 1 जुलाई 2011 से प्रारम्भ हो गये हैं। प्रत्येक में 100 बालिकाओं के लिए स्थान उपलब्ध है।

छात्रावास में प्रवेश के लिये चयन की प्रक्रियाः

1. जिस विद्यालय में छात्रा ने अध्ययन किया है, उसके प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
2. छात्रावास में प्रवेश पाने वाली छात्रा के परिवार (माता–पिता) की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2,00,000/– रुपये से अधिक न हो।
3. अल्पसंख्यक समुदाय के अनाथ, विधवा व विकलांग महिलाओं की पुत्रियों को 10 प्रतिशत प्रवेश की प्राथमिकता दी जायेगी।
4. इच्छुक छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये स्थानीय समाचार पत्रों मे विज्ञप्ति दी जायेगी।
5. छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्राओं की गत परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। छात्रावास में रह रहीं अनुतीर्ण छात्राओं को अगले शैक्षणिक सत्र मे छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. जो छात्रा अध्ययन के साथ सर्विस या व्यवसाय कर रही है, उसे छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. जो छात्रा किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो, उसे छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

14. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर की गई थी। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 06 जुलाई 1989 को किया गया था। यह प्रतिष्ठान, एक स्वैच्छिक, अराजनैतिक, लाभ न कमाने वाला, सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठान का उद्देश्य, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषतः अल्पसंख्यकों में और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार व क्रियान्वित करना है।

योजना का उद्देश्यः

राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों से संबन्धित उन मेधावी छात्राओं की पहचान करना, बढ़ावा देना तथा सहायता देना जो वित्तीय सहायता के बिना अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती हैं।

छात्रवृति का प्रयोजनः

यह छात्रवृत्ति स्कूल/कॉलेज, पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित लेखन सामग्री/उपकरणों की खरीद तथा आवास एवं भोजन प्रभारों के भुगतान पर होने वाले खर्चों के लिए देय होती है।

15. राजीव गाँधी किशोरी सशक्तीकरण योजना– 'सबला'

वर्ष 2010 से भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 10 जिलों यथा– बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर एवं उदयपुर में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के सशक्तीकरण के लिये राजीव गाँधी किशोरी सशक्तीकरण योजना– 'सबला' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

लक्षित समूहः

लक्षित समूह में चयनित जिलों में सभी आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली 11–18 वर्ष की किशोरियाँ सम्मिलित हैं तथा इस स्कीम में पढ़ाई छोड़ चुकी सभी किशोरियो पर केन्द्रित किया गया है।

योजना की सेवाएँ

सेवाओं के दो प्रमुख भाग हैं। पोषणीय सेवाएँ एवं गैर पोषणीय सेवाएँ। पोषणीय सेवाओं के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली एवं 14 से 18 वर्ष की लगभग 7 लाख किशोरियों को आंगनबाडी केन्द्र पर 600 कैलोरी तथा 18 से 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक पोषाहार वर्ष में 300 दिनों तक दिया जाता है।

गैर पोषणीय सेवाओं के तहत सभी किशोरियों विशेषतः विधालय न जाने वाली किशोरियों को एक सप्ताह में 1 आयरन एवं फोलिक एसिड की गोली सत्रों के दौरान दी जाती है।

16. अमलगमेटेड फण्ड से देय सहायता/सुविधाएँ

छात्रवृत्तिः– अमलगमेटेड फण्ड से भूतपूर्व सैनिकों की उन्हीं छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जावेगी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 90000/– रु. तक है तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्राएँ जिनके विगत कक्षा में 55 प्रतिशत या उसके ऊपर अंक हों।

छात्रवृत्ति दरः

वर्ग	कक्षा	वार्षिक
छात्रा	6 से 8	1000/– रु.

अन्य सहायताः अंधे, अपंग, बहरे, गूंगे, या मानसिक रूप से विक्षिप्त पूर्व सैनिकों/आश्रितों को ईलाज/प्रशिक्षण हेतु 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह की सहायता का प्रावधान है।

आवेदन का तरीकाः

उपर्युक्त सहायतार्थ/सुविधार्थ निर्धारित प्रारूप में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है जिसमें अध्ययनरत संस्था के संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाकर संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करवाना होता है। विस्तृत जानकारी हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेषः

1. पूर्व सैनिक की पुत्री ने पिछले वर्ष नियमित विधार्थी के रूप मे अध्ययन किया हो, तथा उसे अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो।
2. कक्षा 6 से 8 हेतु केवल छात्राओं को ही छात्रवृत्ति देय है।
3. पूर्व सैनिक के दो से अधिक बच्चों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होते हैं।
4. (राज्य सरकार के नवीन निर्देशानुसार) आय प्रमाण पत्र।
5. छात्रा की पूर्व कक्षा की अंकतालिका जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, संलग्न करें।
6. आवेदक छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।

7. निर्धारित दिनांक तक सेवा से विमुक्त पूर्व सैनिकों की पुत्रियाँ ही आवेदन की पात्र हैं।
8. पूर्व सैनिक का पहचान पत्र एवं डिस्चार्ज बुक की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
9. सैन्य सेवा विवरण में पूर्व सैनिक के आश्रित छात्रा का नाम सत्यापित हो।
10. पूर्व सैनिक जिस जिले के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकृत है उसी जिले के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
11. आवेदन पत्र छात्रा वर्तमान में जिस विद्यालय/संस्था में छात्रा अध्ययनरत है उसके संस्था प्रधान से मय सील प्रमाणित होना चाहिए।
12. आवेदन फार्म पर विद्यार्थी का फोटो चस्पा होना आवश्यक है।
13. कारगिल शहीदों के आश्रितों को यह छात्रवृत्ति देय नहीं है। उन्हें राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) द्वारा अलग से छात्रवृत्ति दिए जाने से उसी के लिए आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

17. केन्द्रीय विद्यालय में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन

1. केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाली कक्षा I से XII तक की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति।

2. केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा VI से XII तक में अध्ययन करने वाली माता–पिता की इकलौती बालिका सन्तान होने पर 01.01.2006 से शिक्षण शुल्क, कम्प्यूटर फण्ड शुल्क एवं विद्यालय विकास निधि शुल्क से मुक्ति।

18. (शारदेय बालिका छात्रावास/रमसा द्वारा संचालित)

शारदेय बालिका छात्रावास योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 2008–09 से प्रारम्भ हुई व इसकी क्रियान्विति सत्र् 2009–10 से हुई। इससे पूर्व यह योजना गैर राजकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित थी। केन्द्र ने शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉक में 100 बेड के हॉस्टल निर्माण एवं संचालन की योजना लागू की। इसके अन्तर्गत सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी की बालिकाओं को शिक्षा का अवसर देना है। जिससे दूरी एवं आर्थिक स्थिति के कारण छात्राओं की सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी शिक्षा बाधित न हो। 14 से 18 आयु वर्ग की छात्राएं जो IX से XII में अध्ययनरत SC,ST,OBC अल्पसंख्यक एवं बी.पी.एल. परिवारों की हों। K.G..B.V. से उत्तीर्ण छात्राओं को हॉस्टल में प्रवेश की प्राथमिकता है। प्रविष्ट छात्राओं में 50% छात्राएँ SC,ST,OBC एवं अल्पसंख्यक समुदाय से हों।

19. बालिका खेल प्रतिभा विकास योजना

योजना का नामः बालिका खेल प्रतिभा विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई गई योजना (खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र)

पात्रताः

1. कक्षा 6–12 तक अध्ययन करने वाली सभी वर्ग की छात्राएँ पात्र हैं।
2. जो छात्रा खिलाड़ी राज्य स्तर पर भाग ले चुकी हैं वे ही पात्र हैं।
3. बालिकाओं हेतु तीन खेलों हेतु (बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं।
4. इन प्रशिक्षण केन्द्रों में 15 बालिकाओं की क्षमता वाले छात्रावास हैं।
5. इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण लेने वाली छात्राओं को रहना, खाना व गणवेश निःशुल्क उपलब्ध है। (गणवेश हेतु 2000 रु. प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।)
6. इन बालिकाओं को प्रशिक्षण केन्द्र के आसपास स्थित राजकीय विद्यालयों में ही अध्ययन हेतु प्रवेश लेना होता है।

प्रशिक्षण केन्द्रः

1. राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर– बास्केटबॉल हेतु
2. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमहल, जोधपुर– जिम्नास्टिक हेतु
3. राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर– वॉलीबॉल हेतु

छात्रवृत्तिः

क्र. सं.	योग्यता	दर
1.	वे छात्रा खिलाड़ी जो अन्य जिले से आकर संस्था प्रधान द्वारा उपलब्ध कराए गये निर्धारित छात्रावास में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	1250/माह

क्र. सं.	योग्यता	दर
2.	वे छात्रा खिलाड़ी जो उसी जिले के अन्य स्थानों से आकर संस्था प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित छात्रावास में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	1000 / माह
3.	वे छात्रा खिलाड़ी जो स्थानीय हैं, जिन्होंने विद्यालयी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया हो विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	500 / माह
4.	वे स्थानीय खिलाड़ी जो उक्त केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु चयनित हुए हों प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	250 / माह

20. एकल/द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजना

पृष्ठ भूमि व उद्देश्यः

एक या दो पुत्री वाले परिवार की प्रतिभाशाली बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक/प्रवेशिका/उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं की राज्य स्तरीय योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करेंगी , बोर्ड द्वारा उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

पात्रताः

बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्ष 2012 एवं 2013 से राज्य स्तरीय वरीयता सूची में स्थान पाप्त एकल/द्वि पुत्री परिवार की बालिका।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की विविध परीक्षाओं में एक निश्चित स्थान तक की राज्य स्तरीय वरीयता/योग्यता की सूची जारी की जाती है जो अग्रांकित है–

क्र. सं.	परीक्षा	राज्य स्तर पर वरीयता
1.	माध्यमिक परीक्षा	प्रथम से 15वीं वरीयता (स्थान) तक
2.	उच्च माध्यमिक परीक्षा	प्रत्येक संकाय में अलग–अलग प्रथम से 10वीं वरीयता (स्थान) तक
3.	वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा	1 से 5वीं वरीयता (स्थान) तक
4.	प्रवेशिका परीक्षा	1 से 10वीं वरीयता (स्थान) तक

योग्यता/वरीयता सूची के उक्त स्थानों में से किसी भी स्थान पर आने वाली समस्त बालिकाएँ जो अपने परिवार की एकमात्र संतान है या जिनके परिवार में मात्र दो संताने हैं और दोनों ही पुत्रियाँ हैं या जिनके परिवार में मात्र तीन संताने हैं और तीनों ही पुत्रियाँ हैं जिनमें से दो जुड़वा पुत्रियाँ हैं, इस पुरस्कार राशि हेतु आवेदन की पात्र हैं।

पुरस्कार राशिः

बोर्ड परीक्षा	पुरस्कार राशि
माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा – राज्य स्तरीय योग्यता सूची में स्थान प्राप्त बालिका	21,000/–
उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा – राज्य स्तरीय योग्यता सूची में स्थान प्राप्त बालिका	31,000/–

आवेदन प्रक्रियाः

पुरस्कार प्राप्ति हेतु पात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in से आवेदन पत्र का प्रारूप, शपथ पत्र का प्रारूप एवं निर्देश डाउनलोड कर A-4 आकार के कागज पर प्रिन्ट आउट प्राप्त करना होगा। भरा हुआ आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए छात्रा ने जिस विद्यालय से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके संस्था प्रधान से (स्वयंपाठी परीक्षार्थी की स्थिति में जनप्रतिनिधि की अनुशंसा) अग्रेषित करवाने के बाद नियत तिथि तक रजिस्टर्ड डाक से सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के पते पर प्रेषित करना होता है।

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज का विवरणः

1. मूल आवेदन पत्र।
2. 10/– रुपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित माता–पिता का सन्तान सम्बन्धी शपथ–पत्र।
3. संस्था प्रधान का अनुशंसा पत्र/स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु जनप्रतिनिधि का अनुशंसा पत्र।
4. परिवार राशन कार्ड की सत्यापित फोटो प्रति।
5. बैंक पासबुक की फोटो प्रति, जिसमें बैंक सम्बन्धी सभी विवरण स्पष्ट पढ़े जा सकें।
6. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड की सत्यापित फोटो प्रति)

खण्ड (ब)

छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ–

1. अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
3. अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
4. विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
5. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
6. विमुक्त एवं घुमन्तु जाति के छात्र–छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
7. अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
8. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
9. अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
10. अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
11. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
12. विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
13. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
14. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)
15. अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति योजना
16. प्री–कारगिल अर्थात 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना
17. कारगिल युद्ध अर्थात 1.4.99 के पश्चात विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीद सैनिको के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना
18. इन्सपायर अवार्ड योजना
19. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना
20. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना
21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/देवनारायण गुरुकुल योजनान्तर्गत विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
22. केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संस्कृत छात्रवृत्ति

23. पालनहार योजना तथा निराश्रित बालगृह/बालिका गृह योजना
24. आश्रम छात्रावास का संचालन
25. आवासीय विद्यालय का संचालन
26. माँ बाड़ी केन्द्र का संचालन
27. जनजाति छात्र–छात्राओं को प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा
28. प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पीएमटी/पीईटी/आईआईटी की कोचिंग प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता
29. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के युवाओं/युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण हेतु विशेष तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन
30. मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना
31. राजस्थान कोढ़ पीड़ित/विकलांग माता–पिता के बच्चों को दी जाने वाली विशेष विकलांग छात्रवृत्ति योजना
32. सांस्कृतिक प्रतिमा (घरानों व सम्प्रदाय के बच्चों के लिए) खोज छात्रवृत्ति योजना
33. नृत्य, संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला क्षेत्र में प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति (विज्ञान संकाय उच्च अध्ययन हेतु)
34. उच्च शिक्षा हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना
35. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति योजना
36. देवनारायण गुरूकुल योजना– विशेष पिछड़ा वर्ग के बच्चों को उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश हेतु।
37. इन्सपायर छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा
38. निःशक्त छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना का नामः अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना का संक्षिप्त परिचयः कक्षा 6 से 10 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

प्रारम्भ होने का वर्षः 1984–85 (संशोधित 1989)

लाभान्वित वर्गः अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्रा

पात्रताः

1. छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
2. छात्र जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों।
3. छात्र जिनके माता–पिता जीवित हों या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हों।
4. छात्र–छात्रा जिन्हें केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र–छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा।

देय सुविधाएँः

क्र. सं.	विद्यार्थी	छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु)	
		कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 10
1.	छात्र	75 रुपये प्रतिमाह	80 रुपये प्रतिमाह
2.	छात्रा	125 रुपये प्रतिमाह	140 रुपये प्रतिमाह

आवेदन का तरीकाः निर्धारित प्रपत्र पूर्ण भरकर संस्था में आवेदन करना।

आवेदन कहाँ किया जावेः संस्था प्रधान के माध्यम से नियन्त्रक अधिकारी को

आवेदन के साथ औपचारिकताएंः आय प्रमाण–पत्र जाति प्रमाण–पत्र शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

सम्पर्क सूत्रः संस्था प्रधान

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी

अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना का नामः अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना का संक्षिप्त परिचयः राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक के छात्र–छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति वितरण देय है।

प्रारम्भ होने का वर्षः यह योजना वर्ष 2004–05 से लागू हुई।

लाभान्वित वर्गः अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ

पात्रताः

1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्राएँ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हों।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हों या उनके न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 44,500 रुपये की सीमा तक हो उन्हें प्रमाणित आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति देने हेतु पूर्व उत्तीर्ण कक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

देय सुविधाएँः

1. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को 40 रुपये प्रतिमाह की दर से।
2. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को 50 रुपये प्रतिमाह की दर से।
3. यह सुविधा एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए देय है।

आवेदन का तरीकाः निर्धारित प्रपत्र पूर्ण भरकर संस्था में आवेदन करना।

आवेदन कहाँ किया जावेः छात्र–छात्रा के अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को

आवेदन के साथ औपचारिकताएँः आय,जाति व शाला के प्रधान का प्रमाण–पत्र

सम्पर्क सूत्रः संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी

विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

योजना का नामः विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

योजना का संक्षिप्त परिचयः विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा, गाड़िया लोहार, गुर्जर, राईका, रेबारी) के उन छात्र–छात्राओं को देय है जिनके माता–पिता /संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो।

प्रारम्भ होने का वर्षः 2011–12

लाभान्वित वर्गः विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा

पात्रताः

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
2. कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत हों तथा गत परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हों।

देय सुविधाएँः

क्र. सं.	विद्यार्थी	छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु)	
		कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 10
1.	छात्र	50 रुपये प्रतिमाह	60 रुपये प्रतिमाह
2.	छात्रा	100 रुपये प्रतिमाह	120 रुपये प्रतिमाह

आवेदन का तरीकाः समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र संस्था प्रधान को जमा करवाना होता है।

आवेदन कहाँ किया जावेः संबंधित संस्था प्रधान को

आवेदन के साथ औपचारिकताएँः आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र

सम्पर्क सूत्रः संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी

''विमुक्त एवं घुमन्तु जाति के छात्र–छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति''

पात्रताः

1. अभिभावकों की आय सीमा 44,500/– रु. वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. यह छात्रवृत्ति राजकीय/अनुदानित/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत को प्रदान की जाती है।

दरः

कक्षा	छात्र	छात्रा
6–8 तक	50 रु. मासिक	100 रु. मासिक

उक्त राशि शैक्षणिक एक सत्र में 10 माह तक प्रदान की जाती है।

आवेदन का तरीकाः संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से।

आवेदन के साथ औपचारिकताएंः आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र

सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना का नामः पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु

संक्षिप्त परिचयः घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति देय है।

प्रारम्भ होने का वर्षः 1984

पात्रताः कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत होना।

देय सुविधाएँः बालकों के लिए 15/– रु. प्रतिमाह एवं
बालिकाओं के लिए 20/– रु. प्रतिमाह 10 माह हेतु

आवेदन का तरीकाः संस्था में आवेदन करना

आवेदन कहाँ किया जावेः संस्था प्रधान को

आवेदन के साथ औपचारिकताएँः
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शाला के संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

सम्पर्क सूत्रः संस्था प्रधान

सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

योजना का नामः पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु योजना

योजना का संक्षिप्त परिचयः सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति।

प्रारम्भ होने का वर्षः 1984 (संशोधित 1989)

लाभान्वित वर्गः सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्रा

पात्रताः

1. छात्र–छात्रा अन्य पिछड़ी जाति का होना चाहिए।
2. छात्र जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों।
3. छात्र जिनके माता–पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हों।
4. छात्र–छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हों।
5. छात्र–छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है। तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होता है।
6. छात्र जो विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।

देय सुविधाएँः

क्र. सं.	विद्यार्थी	छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु)	
		कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 10
1.	छात्र	15 रुपये प्रतिमाह	30 रुपये प्रतिमाह
2.	छात्रा	20 रुपये प्रतिमाह	40 रुपये प्रतिमाह

आवेदन का तरीकाः प्रपत्र पूर्ण भरकर संबंधित संस्था में आवेदन करना।

आवेदन कहाँ किया जावेः संस्था प्रधान को

आवेदन के साथ औपचारिकताएँः आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, शाला के प्रधान का प्रमाण–पत्र

सम्पर्क सूत्रः संस्था प्रधान

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी

अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना का नामः अस्वच्छ कार्यों में लगे परिवारों के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना का संक्षिप्त परिचयः अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों को जो कक्षा 1 से 10 तक नियमित अध्ययन करते हैं उन्हें छात्रवृत्ति व एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।

प्रारम्भ होने का वर्षः यह योजना वर्ष 25.02.1994 से लागू (संशोधन 01.04.2003 व 01.04.2008

पात्रताः

1. छात्र–छात्रा कक्षा–1 से 10 में अध्ययनरत होना चाहिए।
2. छात्र–छात्रा के माता पिता/अभिभावक का अस्वच्छ कार्य में लगे होने का प्रमाण–पत्र।

देय सुविधाएँः

क्र. सं.	कक्षा	छात्रवृत्ति (10 माह हेतु)	
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1.	1 से 2	—	110 रुपये प्रतिमाह एवं (750 रुपये वार्षिक एक मुश्त अनुदान)
2.	3 से 10	700 रुपये प्रतिमाह एवं (1000 रुपये वार्षिक एक मुश्त अनुदान)	110 रुपये प्रतिमाह एवं (750 रुपये वार्षिक एक मुश्त अनुदान)

आवेदन का तरीकाः प्रपत्र पूर्ण भरकर संबंधित संस्था में आवेदन करना।

आवेदन के साथ औपचारिकताएँः छात्र–छात्रा के माता–पिता/अभिभावक का अस्वच्छ कार्य में लगे होने का प्रमाण–पत्र।

सम्पर्क सूत्रः संस्था प्रधान

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिले का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

योजना का नामः अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना का संक्षिप्त परिचयः केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध राजस्थान प्रदेश के राजकीय विद्यालयों मदरसों में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

प्रारम्भ होने का वर्षः 2008–09

लाभान्वित वर्गः मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी वर्ग के कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राएँ

पात्रताः
1. छात्र/छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 100000 रुपये से अधिक नहीं हो।
2. छात्र/छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
3. एक परिवार में दो से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
4. गत कक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

देय सुविधाएँः

क्र.सं.	मद	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1.	कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश शुल्क	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)
2.	कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश शुल्क	350 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो) दस माह के लिए	350 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो) दस माह के लिए
रखरखाव भत्ता अधिकतम 10 माह के लिए			
1.	कक्षा 1 से 5 तक	शून्य	100 रुपये प्रतिमाह
2.	कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण शुल्क	600 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	100 रुपये प्रतिमाह

आवेदन का तरीकाः समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र संस्थाप्रधान को जमा करवाना है।

आवेदन कहाँ किया जावेः संबंधित संस्था प्रधान

आवेदन के साथ औपचारिकताएँः शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र

सम्पर्क सूत्रः संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक–माध्यमिक)

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी

छात्रवृत्ति योजना– (उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति) (महाविद्यालयी)

पात्रताः अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनके अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रु. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रु. वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय लाभः कक्षा व कोर्स के अनुसार, नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

आवेदनः छात्र द्वारा आवेदन ऑनलाईन संबन्धित महाविद्यालय को किया जाता है। जिसे महाविद्यालय द्वारा विभाग को हार्ड–कॉपी समेत अग्रेषित किया जाता है।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

उत्तर मैट्रिक योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, कक्षा 11 से पी.एच.डी. स्तर तथा आई.टी.आई. (Affiliated with NCVT) हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक (Post Metric) योजना के अन्तर्गत नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) हेतु हर वर्ष निर्धारित तिथि तक आवेदन किया जाता है।

छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं–

क्र. सं.	मद	दर (छात्रावासी)	दर (डेस्कॉलर हेतु)
1.	प्रवेश फीस एवं ट्यूशन फीस कक्षा 11 व 12	वास्तविक फीस या 7000 रुपये वार्षिक जो भी कम हो	वास्तविक फीस या 7000 रुपये जो भी कम हो
2.	प्रवेश फीस एवं ट्यूशन फीस कक्षा 11 व 12 स्तर के टेक्नीकल व व्यावसायिक कोर्स	वास्तविक फीस या 10000 रुपये वार्षिक जो भी कम हो	वास्तविक फीस या 10000 रुपये वार्षिक जो भी कम हो
3.	प्रवेश फीस एवं ट्यूशन फीस स्नातक/स्नातकोत्तर कोर्स	वास्तविक फीस या 3000 रुपये वार्षिक जो भी कम हो	वास्तविक फीस या 3000 रु. वार्षिक जो भी कम हो
4.	अनुरक्षण भत्ता कक्षा 11 व 12 स्तर व इसके समकक्ष तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स	235 रुपये प्रतिमाह	140 रुपये प्रतिमाह
5.	अनुरक्षण भत्ता प्रोफेशनल/ तकनीकी पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु	355 रुपये प्रतिमाह	185 रुपये प्रतिमाह
6.	अनुरक्षण भत्ता एम.फिल एवं पी.एच.डी. स्तर	510 रुपये प्रतिमाह	330 रुपये प्रतिमाह

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)

योजना का नामः	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)
योजना का संक्षिप्त परिचयः	वित्तीय वर्ष 2006–07 के बजट से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ के साथ परिवार के आश्रित दो पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 300 रुपये त्रैमासिक की दर से वार्षिक 1200 रुपये छात्रवृत्ति दी जा रही है।
प्रारम्भ होने का वर्षः	योजना का शुभारम्भ 14 अगस्त, 2006 से किया गया।
लाभान्वित वर्गः	बी.पी.एल. परिवारों के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बालक/बालिकाओं को।
पात्रताः	छात्र/छात्रा को बी.पी.एल. परिवार से संबंधित तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत होना चाहिए।
देय सुविधाएँः	कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने पर 300 रुपये त्रैमासिक की दर से अधिकतम 1200 रुपये वार्षिक देय है।
आवेदन का तरीकाः	निर्धारित आवेदन पत्र में अपने परिवार के बी.पी.एल. कार्ड की प्रमाणित प्रति के साथ संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होता है तत्पश्चात् यह आवेदन पत्र जि.शि.अ. के माध्यम से जीवन बीमा निगम को प्रेषित किया जाता है।
आवेदन किसे किया जावेः	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को।
आवेदन के साथ औपचारिकताएँः	परिवार के बी.पी.एल. कार्ड की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाती है।
सम्पर्क सूत्रः	संस्था प्रधान/ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ नगर निगम।
शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी

अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति योजना

योजना का नामः अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति

योजना का संक्षिप्त परिचयः राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ–2 (48) शिक्षा प्रकोष्ठ–6/68 दिनांक 24.07.1970 के द्वारा यह छात्रवृत्ति उन छात्र–छात्राओं को देय है जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2500 रुपये से अधिक न हो।

प्रारम्भ होने का वर्षः 1970–71

लाभान्वित वर्गः उन छात्र–छात्राओं को दी जाती है जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2500 रुपये से अधिक न हो।

पात्रताः

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2500 रुपये से अधिक नहीं हो।
2. कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत हो तथा गत परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हों।

देय सुविधाएँः

क्र. सं.	कक्षा	छात्रवृत्ति (10 माह के लिए)
1.	कक्षा 6 से 10 तक	10 रुपये मासिक
2.	कक्षा 11 से 12 तक	15 रुपये मासिक

आवेदन का तरीकाः समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र संस्थाप्रधान को जमा करवाना होता है।

आवेदन किसे किया जावेः संबंधित संस्था प्रधान को

आवेदन के साथ औपचारिकताएंः आय प्रमाण पत्र

सम्पर्क सूत्रः संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी

प्री–कारगिल अर्थात् 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इमरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलिट्री के शहीद सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति योजना

योजना का नामः प्री–कारगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इमरजेन्सीज में शहीद/ स्थायी विकलांग/पैरा विकलांग/पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति योजना।

योजना का संक्षिप्त परिचयः प्री–कारगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इमरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रित पुत्र–पुत्रियों को कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रत्येक आश्रित को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना।

प्रारम्भ होने का वर्षः 2004–05

लाभान्वित वर्गः प्री–कारगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत आश्रित।

पात्रताः कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत छात्र–छात्राएँ जो प्री–कारगिल युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रित हों।

देय सुविधाएँः 1800 रुपये प्रति छात्र–छात्रा प्रति वर्ष

आवेदन का तरीकाः

1. पात्र छात्र–छात्रा द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र अपनी अध्ययनरत शाला में प्रस्तुत करना।
2. उक्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) को भिजवाया जाता है। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से आवेदन पत्र निदेशालय (माध्यमिक शिक्षा), एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के आवेदन पत्र निदेशक, प्ररम्भिक शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक निदेशालय को पहुंचाने होते हैं तत्पश्चात् छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

आवेदन कहाँ किया जावेः संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

आवेदन के साथ औपचारिकताएँः 1. प्री–कारगिल अर्थात् 1.4.99 से पूर्व युद्ध में संबंधित छात्र/छात्राओं के अभिभावक के शहीद/स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना।

सम्पर्क सूत्रः संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, जिला सैनिक कल्याण–अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक) एवं संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

कारगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना

योजना का नामः कारगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रित पुत्र–पुत्रियों को कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रत्येक आश्रित को 1800 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना।

योजना का संक्षिप्त परिचयः कारगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रित पुत्र–पुत्रियों को कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रत्येक आश्रित को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना।

प्रारम्भ होने का वर्षः 1999

लाभान्वित वर्गः कारगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत आश्रित।

पात्रताः कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं जो करगिल युद्ध में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रित हों।

देय सुविधाएँः 1800 रुपये प्रति छात्र–छात्रा प्रति वर्ष

आवेदन का तरीकाः

1. पात्र छात्र–छात्रा द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र अपनी अध्ययनरत शाला में प्रस्तुत करना।
2. उक्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से विभाग से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाता है। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से आवेदन पत्र निदेशालय (माध्यमिक शिक्षा), एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के आवेदन पत्र निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक निदेशालय को पहुँचाने हैं। तत्पश्चात् छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

आवेदन कहाँ किया जावेः संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

आवेदन के साथ औपचारिकताएँः 1. कारगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात युद्ध में छात्र–छात्राओं के एवं अन्य इन्सरजेन्सीज अभिभावक के शहीद/स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना।

सम्पर्क सूत्रः संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, जिला सैनिक कल्याण–अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) एवं संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

इन्सपायर अवार्ड योजना

योजना का नामः इन्सपायर अवार्ड योजना

योजना का संक्षिप्त परिचयः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 से प्रारम्भ इन्सपायर अवार्ड योजना वस्तुतः प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा विज्ञान–अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने को प्रोत्साहित करना है।

प्रारम्भ होने का वर्षः 2009–10

पात्रताः
1. इन्सपायर अवार्ड प्राप्त करने के लिए राज्य के समस्त राजकीय/गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विधार्थी समान रूप से पात्र हैं।
2. कक्षा 6, 7, 8, 9 व 10 में से विज्ञान एवं गणित में सर्वोच्च अंक प्रतिशत प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी पात्र होता है।

देय सुविधाएँः चयनित विद्यार्थी को 5000 रुपये की राशि विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु देय।

आवेदन का तरीकाः संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जिशिअ. से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चयन कर चयनित विद्यार्थी के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। (विद्यार्थियों द्वारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)

आवेदन किसे किया जावेः विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को।

सम्पर्क सूत्रः
1. छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन अनुभाग, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)

शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना राज्य सरकार की महत्ती बाल हितेषी योजना है। इस योजना का मूल उद्देश्य समाज के हर तबके के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है ताकि धन के अभाव में कोई भी बालक–बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले।

वर्तमान में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा करवाया जा रहा है। प्रकाशन उपरान्त पाठ्यपुस्तकें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित नोडल केन्द्रों पर उनके अधिकृत प्रतिनिधि को सुपुर्द की जाती है। इन नोडल केन्द्रों द्वारा पुस्तकें विद्यालयों को वितरित की जाती हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण सत्र् 1994–95 से किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सत्र् 2004–05 से किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 12 तक के उन समस्त छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं जिनके अभिभावक आयकरदाता नहीं है।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

राज्य सरकार ने सत्र 96–97 से सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए विद्यालयों मे अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए यह योजना लागू की। इसका प्रीमियम कक्षा 1 से 8 तक राज्य सरकार स्वयं अपने बजट से भरती है तथा कक्षा 9 से 12 तक की प्रीमियम विद्यार्थियों से संग्रहित कर संस्था प्रधान के माध्यम से राज्य बीमा विभाग को जमा कराई जाती है। जुलाई 1997 की लेखाविज्ञ/शिविरा से, राज्य सरकार का आदेश दिनांक 07.11.1997 तथा शिविरा/प्राथ./एबी/19103/गैर.स.शि.बीमा यो.1997 दिनांक 07.11.1997 देखें। इसी प्रकार गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा बीमा राशि (प्रीमियम) भरकर उनके विद्यालयों के छात्र–छात्राएँ भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम की राशि प्रति छात्र 10 रुपये व प्रति छात्रा 5 रुपये निर्धारित है।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का लाभ निम्न प्रकार की क्षतियों पर देय हैः–

क्र. सं.	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	लाभ/बीमाधन
1.	दुर्घटना में मृत्यु होने पर	1,00,000/–रु.
2.	दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ, एक आँख अथवा एक पैर, एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति होने पर	1,00,000/–रु.
3.	एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति होने पर	50,000/–रु.
4.	उपर्युक्त क्षतियों के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थी के सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में	1,00,000/–रु.
5.	आंशिक शक्तियों की क्षति की दशा में	
	(अ) श्रवण शक्तियों की क्षति की दशा में	
	1. श्रवण शक्ति की पूर्ण क्षति (दोनों कानों की क्षति)	50,000/–रु.
	2. श्रवण शक्ति की क्षति (एक कान की पूर्ण क्षति)	15,000/–रु.
	(ब) एक हाथ के अँगूठे एवं अंगुलियों की क्षति	
	1. एक हाथ के अँगूठे एवं चारों अंगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति)	40,000/–रु.
	2. एक हाथ के अँगूठे को छोड़कर चारों अंगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति)	35,000/–रु.
	3. दो अंगुलियों की क्षति	25,000/–रु.
	4. हाथ के अँगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थि की क्षति)	10,000/–रु.
	5. अंगुली की एक अंगुलस्थि की क्षति	4,000/–रु.

क्र. सं.	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	लाभ / बीमाधन
	(य) पाँव के अँगूठे एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में	
	1. दोनों पाँवों की समस्त अंगुलियों की क्षति	20,000 / –रु.
	2. पाँव के एक अँगूठे की क्षति (दो अंगुलस्थियों की क्षति)	5,000 / –रु.
	3. पाँव के एक अँगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थि की क्षति)	2,000 / –रु.
	4. अँगूठे को छोड़कर अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति)	1,000 / –रु. (प्रति अंगुली)
	(र) जलने पर क्षतिपूर्ति	
	1. 50 प्रतिशत और इससे अधिक शरीर के जलने पर	50,000 / –रु.
	2. 40 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम जलने पर	40,000 / –रु.
	3. 30 प्रतिशत से अधिक व 40 प्रतिशत से कम जलने पर	30,000 / –रु.

अलाभकारी परिस्थितियाँः–

लाभ कब नहीं मिलेगाः– सामान्य प्राकृतिक मृत्यु / बीमारी से / हृदय गति रूकने से / आत्मक्षति / आत्महत्या / पागलपन / नशीले द्रव के सेवन / चिकित्सा शल्य प्रक्रिया / नाभिकीय विकिरण या परमाणविक अस्त्र, विदेशी आक्रमण, गृह–युद्ध, देशद्रोह, गर्भ धारण अथवा प्रसव / आपराधिक उद्देश्य से निर्धारित कानून उल्लंघन करते समय हुई मृत्यु या क्षति।

आवेदन का तरीकाः छात्र–छात्रा के दुर्घटना मे मृत्यु / अन्य शारीरिक क्षति होने पर दावा संबंधित शाला प्रधान के द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को तैयार कर तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करना होता है।

आवेदन कहाँ किया जावेः संबंधित शाला प्रधान के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में।

आवेदन के साथ औपचारिकताएँः (1) दुर्घटना होने का चिकित्सक का प्रमाण पत्र
(2) मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र

सम्पर्क सूत्रः संबंधित विद्यालय का शाला प्रधान / कार्यालयाध्यक्ष

विशेष जानकारीः www.sipf.rajasthan.gov.in (बीमा विभाग की वेबसाइट)

अ.जा./अ.ज.जा./देवनारायण गुरुकुल योजना के अन्तर्गत विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1. योजनाओं का नामः–

(अ) शिक्षा विभागीय योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

(ब) जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.)

अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(स) देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना

विशेष पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया लौहार, गाडोलिया, 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रेबारी (दैवासी) हेतु विशेष पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(द) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त समस्त वर्ग/समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना।

2. छात्र/छात्रा को सुविधाएँः–

1. पूर्व प्रवेश परीक्षा में चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा को प्रथम बार कक्षा 6 में प्रवेश दिया जायेगा। इसी प्रकार पूर्व प्रवेश परीक्षा में चयनित आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं को प्रथम बार कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा। तत्पश्चात् कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु स्वतः ही उनका नवीनीकरण होता रहेगा। बशर्ते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 'C' Grade लाना आवश्यक होगा एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं को प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
2. छात्र/छात्रा को राज्य सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन तथा कक्षा 11 एवं 12 हेतु विद्यालय में संचालित ऐच्छिक विषयों में से ही चयन करना होगा।
3. छात्र/छात्रा को नियमानुसार शिक्षा, आवास, भोजन, पोशाक, पाठ्य–पुस्तकें एवं लेखन सामग्री की निःशुल्क सुविधाएँ देय होगी।

3. छात्र/छात्रा की पात्रताः–

निम्नलिखित समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले छात्र/छात्रा ही प्रवेश हेतु पात्र हैंः–

1. छात्र/छात्रा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा का उक्त चारों, योजनाओं में संबंधित वर्ग विशेष का होना आवश्यक है।

3. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 5 में न्यूनतम 'C' Grade से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन छात्र/छात्रा के माता–पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
4. आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं को कक्षा 8 में न्यूनतम 'C' Grade से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन छात्र–छात्राओं के माता–पिता की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो।
5. छात्र/छात्रा के माता–पिता के अधिकतम दो पुत्र–पुत्रियाँ ही यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने की हकदार हैं अर्थात इस योजना के अंतर्गत माता–पिता का एक पुत्र/पुत्री पूर्व में यह छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है अथवा कर चुका है तो अब मात्र एक ही पुत्र/पुत्री इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा। किसी भी स्थिति में तीसरा पुत्र/पुत्री हकदार नहीं होगा।

4. छात्रवृत्तियों का निर्धारणः–

शिक्षा विभागीय योजना

1. शिक्षा विभागीय योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सत्र (2012–13) में 2500 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने व विद्यालय छोड़ने से सत्रान्त के बाद हुई रिक्तियों की पूर्ति प्रवेश परीक्षा के आधार पर की जाती है।
2. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.)
   इस में छात्रवृत्तियों का निर्धारण इस प्रकार से है–
   a. जनजाति उपयोजना क्षेत्र– छात्र 70 + छात्रा 30 कुल = 100
   b. गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र– छात्र 70 + छात्रा 30 कुल = 100

5. परीक्षा का पाठ्यक्रमः–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम, विभाग द्वारा संचालित कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होंगे।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम, विभाग द्वारा संचालित कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न–पत्र निर्मित होंगे।
3. उक्त चारों योजनाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न–पत्र को छोड़कर सभी प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में होंगे परन्तु प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में भी दिए जा सकेंगे।

6. आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरणः–

1. छात्र/छात्रा को उपर्युक्त चारों योजनाओं के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर योजना का नाम मोटे अक्षरों में लिखना आवश्यक है।
2. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अन्यथा विज्ञप्ति से प्रारूप टंकित कर भी उपयोग में लाया जा सकता है, इसे विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को संस्कृत छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को संस्कृत छात्रवृत्ति वितरित की जाती है।

प्रात्रता एवं शर्तेः–

1. कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए कक्षा 8वीं की परीक्षा में संस्कृत विषय सहित एग्रीगेट 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए कक्षा 10वीं की परीक्षा में संस्कृत विषय सहित एग्रीगेट 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. छात्र/छात्रा के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसे अगले वर्ष की छात्रवृत्ति से वंचित किया जाएगा। (कक्षा 9 अथवा 11)
4. प्रत्येक जिले में इस प्रकार संस्कृत विषय में उच्चतम अंकों के आधार पर कक्षा 9 व 10 में 35 छात्र/छात्रा प्रति कक्षा एवं कक्षा 11 एवं 12 हेतु संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत् 15 छात्र/छात्रा प्रति कक्षा उच्चतम अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है।

पालनहार योजना तथा निराश्रित बालगृह/बालिका गृह योजना

पालनहार योजनाः

अनाथ बालकों के पालन–पोषण की सुविधा हेतु पालनहार व्यक्ति/संस्था/ आँगनवाड़ी व छात्रावासों के माध्यम से 500/–रु. प्रतिमाह अनुदान तथा विद्यालय में दाखिले पर 675/–रु. प्रतिमाह के साथ 2000/–रु. एक मुश्त अनुदान के रूप में देय है।

इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।

निराश्रित बालगृह/बालिका गृहः

पात्रताः 6 से 18 वर्ष के निराश्रित, असहाय बालक–बालिकाएँ।

सुविधाः निःशुल्क भोजन, नाश्ता, आवास, चिकित्सा, शिक्षण व प्रशिक्षण।

क्रियान्विति विभागः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाएँ।

आश्रम छात्रावास

योजना का नामः आश्रम छात्रावास का संचालन

लाभान्वित वर्गः जनजाति छात्र/छात्राएँ

पात्रताः

1. ऐसे जनजाति क्षेत्र के छात्र/छात्रा जिनके निवास से 1.5 कि.मी., से 3 कि.मी., तक क्रमशः कोई प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय न हो।
2. माता–पिता/अभिभावक आयकरदाता न हो।
3. परिवार के पास 400 वर्ग गज से अधिक शहरी भूमि न हो अथवा मकान की मिलकियत नहीं हो।
4. कृषि भूमि 15 बीघा से अधिक न हो।
5. छात्र/छात्रा उसी जिले का निवासी हो जिस जिले के छात्रावास हेतु आवेदन किया गया हो।
6. पूर्व में निवासरत छात्रों के उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है। इसके पश्चात रिक्त–स्थानों पर नये छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
7. अनुसूचित क्षेत्र माडा तथा बिखरी क्षेत्र से सम्बन्धित छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित क्षेत्र माडा तथा बिखरी क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।
8. सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित छात्रावासों में केवल सहरिया छात्र–छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाता है।

देय सुविधाएँः

1. निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक, विशेष कोचिंग अन्य सुविधाएँ विभागीय पैटर्न अनुसार।

आवेदन कहाँ करना हैः अधीक्षक सम्बन्धित छात्रावास

सम्पर्क सूत्रः

1. परियोजना अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ए.डी.एम., शाहबाद/अधीक्षक

आवासीय विद्यालय

योजना का नामः आवासीय विद्यालयों का संचालन

लाभान्वित वर्गः जनजाति छात्र/छात्राएँ

योजना का उद्देश्यः जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को नवोदय पेटर्न पर अध्ययन, मुफ्त आवास, भोजन व अन्य सुविधाएँ मुहैया कराना।

पात्रताः

1. माता–पिता आयकरदाता नहीं हो।
2. प्रवेश उन्हीं जनजाति छात्र–छात्राओं को दिया जावेगा जिन्होंने प्रवेश हेतु चाही गई कक्षा से पूर्व की कक्षा परीक्षा किसी राज्य के सरकारी विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो।
3. प्रति वर्ष आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में पूर्व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट तैयार कर प्रवेश दिया जाता है तथा अगले वर्ष उत्तीर्ण होने पर स्वतः ही प्रवेश मिल जाता है।
4. प्रति वर्ष कक्षा 7 से 12 तक की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश दिया जाता है। इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु चाही गई कक्षा से पूर्व की कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
5. आवासीय विद्यालयों में अनुत्तीर्ण रहे छात्रों को अगले वर्ष पुनः प्रवेश नहीं दिया जाता है।
6. आवासीय विद्यालयों में विभिन्न जनजाति क्षेत्र हेतु स्थान आरक्षित हैं, (नियमों में कोटे के अनुसार)

देय सुविधाएँः छात्र–छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन, आवास, भोजन, पोशाक आदि सुविधा निर्धारित पैटर्न अनुसार देय।

आवेदन कहाँ करना हैः संबंधित प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय

सम्पर्क सूत्रः परियोजना/उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ए.डी.एम., शाहबाद।

माँ–बाड़ी केन्द्र

योजना का नामः माँ–बाड़ी केन्द्रों का संचालन

लाभान्वित वर्गः अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति बालक/बालिकाएँ
सहरिया क्षेत्र के सहरिया बालक/बालिकाएँ

पात्रताः
1. अनुसूचित क्षेत्र में माँ–बाड़ी केन्द्र के गाँव के जनजाति बालक–बालिकाएँ जो स्कूल नहीं जाते हैं।
2. सहरिया क्षेत्र में माँ–बाड़ी केन्द्र के गाँव के सहरिया बालक–बालिकाएँ जो स्कूल नहीं जाते हैं।

देय सुविधाएँः छात्र–छात्राओं को खाना, पोशाक, स्टेशनरी एवं कक्षा 1–3 में अध्ययन के साथ शारीरिक स्वच्छता

आवेदन कहाँ करना हैः संबंधित केन्द्र के अध्यापक

सम्पर्क सूत्रः परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां व परियोजना/उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं आबूरोड, अतिरिक्त कलेक्टर शाहबाद।

जनजाति छात्र/छात्राओं को प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा

योजना का नामः जनजाति छात्र/छात्राओं को प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा

लाभान्वित वर्गः जनजाति छात्र/छात्राएँ

पात्रताः

1. राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये।
2. अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति का हो।
3. माता–पिता आयकर दाता नहीं हो।
4. अभ्यर्थी गत कक्षा में राजकीय/अनुदान प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पूरे सत्र में अध्ययन करते हुए कम से कम 55 प्रतिशत अंक अर्जित कर उत्तीर्ण होना चाहिये।
5. छात्र–छात्रा का चयन पूर्व प्रवेश परीक्षा की वरीयता के माध्यम से किया जाता है लेकिन चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
6. छात्र–छात्राओं ने गत कक्षा जिस जिले से उत्तीर्ण की हो उसी जिले की वरीयता सूची में नाम सम्मिलित कर चयन किया जाता है।
7. कक्षा 6 में चयन होने पर कक्षा 12वीं तक अध्ययन कराया जाता है बशर्ते विद्यार्थी 50 प्रतिशत अंक अर्जित करता रहे।
8. कक्षा 6 में 100 स्थान अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों हेतु तथा 100 स्थान गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित हैं।

देय सुविधाएँः निःशुल्क अध्ययन, आवासीय सुविधा, भोजन, स्कूल फीस, पोशाक, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा देय है।

आवेदन का तरीकाः अखबार में विज्ञप्ति पर प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाता है।
छात्र–छात्राओं द्वारा एक विद्यालय में प्रवेश ले लेने के पश्चात उनका दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जाता है।

सम्पर्क सूत्रः सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा

प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से पीएमटी/पीईटी/आईआईटी की कोचिंग प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता

योजना का नामः प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से पीएमटी/पीईटी/आईआईटी की कोचिंग प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता

लाभान्वित वर्गः जनजाति अभ्यर्थी

पात्रताः
1. कक्षा बारहवीं (विज्ञान) प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो
2. माता–पिता तथा अभिभावक आयकरदाता नहीं हो
3. लाभार्थी पूर्व में सहायता प्राप्त किये हुए नहीं होना चाहिए

देय सुविधाएँः
– फीस पुनर्भरण–रुपया 55000/– तक।
– रुपया 10000/– तक (10 माह हेतु) 1000/– प्रतिमाह, 80 प्रतिशत उपस्थिति होने पर।
– पुस्तकें, अध्ययन सामग्री व स्टेशनरी के बिल प्रस्तुत करने पर रुपया 5000/– एक मुश्त।

आवेदन का तरीकाः समाचार पत्रों में जारी विज्ञप्ति में अंकित आवेदन–पत्र अनुसार। कोचिंग शुल्क तथा स्टेशनरी क्रय की मूल रसीदें प्रस्तुत करनी होंगी।

आवेदन कहां करना हैः
– अनुसूचित क्षेत्र के लिए निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.)
– माड़ा क्लस्टर तथा बिखरी आबादी क्षेत्र के लिए सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्रकोष्ठ)

सम्पर्क सूत्रः
– निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.)
– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण हेतु विशेष तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन

योजना का नामः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण हेतु विशेष तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन

लाभान्वित वर्गः जनजाति क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्राएँ।

पात्रताः

1. अभ्यर्थी जनजाति का हो तथा अनुसूचित क्षेत्र का निवासी हो
2. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता– ट्रेंड अनुसार आठवीं, दसवीं या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण।
3. अभ्यर्थी की आयु सीमाः प्रवेश वर्ष की एक अगस्त को 14 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट।
5. तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति देने पर निर्धारित आवेदन में आवेदन करना होता है।
6. योग्यता की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

देय सुविधाएँः

– आईटीआई में प्रविष्ठ जनजाति छात्र/छात्राओं को 150/– रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति।

– प्रशिक्षण उपरान्त (उत्तीर्ण होने पर) 500 रुपये के टूल प्रति छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराए जाते हैं।

– छः माह के मोटर ड्राईविंग कोर्स में प्रत्येक छात्र/छात्रा को 200/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

आवेदन का तरीकाः तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति में दिए निर्देशानुसार निर्धारित आवेदन–पत्र में आवेदन करना।

सम्पर्क सूत्रः संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के आचार्य।

मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना

राजस्थान राज्य के मृत राज्य कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियों के लिए यह योजना है। इसके तहत छात्रवृत्ति उन आश्रित बच्चों को देय है, जिनके अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता न हो। छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	कक्षा	मासिक दर
1	3 से 5	10/– रु.
2	6 से 8	15/– रु.

शाला–प्रधान द्वारा आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना होगा।

राजस्थान कोढ़ पीड़ित/विकलांग माता–पिता के बच्चों को दी जाने वाली विशेष विकलांग छात्रवृत्ति योजना

1. इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो नियमित रूप से अध्ययनरत् है।
2. माता–पिता दोनों कोढ़ से पीड़ित हों।
3. माता–पिता दोनों विकलांग हों।
4. माता/पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हो तथा दूसरा कुष्ठ रोगी/विकलांग हो।
5. माता/पिता दोनों में से किसी एक में 80 प्रतिशत विकलांगता हो।
6. माता–पिता की वार्षिक आय 40,000/– रु. हो।

योजना में मिलने वाले वित्तीय लाभ निम्नानुसार हैंः–

कक्षा	मासिक दर
कक्षा 1 से 4	40/– रु. प्रतिमाह 10 माह के लिए
कक्षा 5 से 8	50/– रु. प्रतिमाह 10 माह के लिए

आवेदन पत्र संस्था प्रधान द्वारा भरवाये जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

सांस्कृतिक प्रतिभा (घरानों व सम्प्रदाय के बच्चों के लिए) खोज छात्रवृत्ति

आयुः आयु वर्ग 10 से 14 वर्ष

पात्रताः मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राएँ

दरः इस योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रो को 300/–रु. प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को 400/–रु. प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं।

प्रक्रियाः उपनिदेशक सी.सी.आर.टी. 15ए सेक्टर द्वारका, नई दिल्ली को चयनार्थ भेजा जावे।

नृत्य, संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला क्षेत्र में प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति

आयुः आयु वर्ग 10 से 14 वर्ष

पात्रताः मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राएँ

दरः इस योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को 300/–रु. प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को 400/–रु. प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं।

प्रक्रियाः आवेदन पत्र उपनिदेशक सी.सी.आर.टी. 15ए सेक्टर, द्वारका, नई दिल्ली से प्राप्त कर शाला प्रधान के माध्यम से सी.सी.आर.टी. 15ए सेक्टर द्वारका, नई दिल्ली को चयन हेतु भेजा जावे।

उच्च शिक्षा हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृति योजना

योजना का नाम : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना 2013–14

पात्रताः

1. यह छात्रवृत्ति सिर्फ भारतीय मूल के विद्यार्थियों को ही देय है।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नियमित अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को ही यह छात्रवृत्ति देय है।
3. विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 में उत्तीर्ण संकायवार Top 20% में स्थान रखते हों– छात्रवृत्ति के पात्र होगे।
4. विद्यार्थी किसी अन्य स्त्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो।
5. अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. विद्यार्थी Non Creamy Layer से सम्बन्धित होना चाहिए।

छात्रवृत्ति की राशि एवं अवधिः

- उच्च शिक्षा में अध्ययन के पाँच वर्ष तक नियमित देय।
- स्नातक स्तर पर यह छात्रवृत्ति महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के प्रथम तीन वर्ष तक राशि रुपये 1000 प्रति माह की दर से अथवा प्रतिवर्ष रुपये 10,000/– एकमुश्त तथा स्नातकोत्तर स्तर या स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के चौथे एवं पांचवे वर्ष में 2000/– रुपये प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष रुपये 20,000/– एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

आवेदन प्रक्रियाः

- छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों का प्रिन्ट आउट मय दस्तावेज निर्धारित तिथि तक बोर्ड कार्यालय में प्राप्त नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन स्वतः ही निरस्त योग्य हो जायेगा।
- छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना समय–समय पर बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध करवाई जाती रहेगी।

संलग्न आवश्यक दस्तावेजः

- कक्षा XII की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति।
- 10/– रुपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित आय शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप में।
- आयकर रिटर्न/फार्म नं. 16 की सत्यापित फोटो प्रति।
- स्वयं के बैंक खाते की पासबुक की सत्यापित फोटोप्रति।
- जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित फोटोप्रति (यदि लागू हो)
- विकलांग प्रमाण–पत्र की सत्यापित फोटो प्रति (यदि लागू हो)
- 10/– रुपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (निर्धारित प्रारूप में) अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने का शपथ–पत्र।
- आधार कार्ड की सत्यापित फोटो प्रति।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति योजना

पात्रताः

1. उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रत्येक वर्ग (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला) में प्रथम स्थान प्राप्त छात्रों को।
2. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रथम पांच स्थान प्राप्त छात्रों को।
3. प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम दस स्थान प्राप्त छात्रों को।
4. माध्यमिक परीक्षा में प्रथम पन्द्रह स्थान प्राप्त छात्रों को।

अवधि एवं दरेंः

1. उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण 3 वर्ष तक रुपये 500/– प्रतिमाह
2. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण 3 वर्ष तक रुपये 500/– प्रतिमाह
3. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण 2 वर्ष तक रुपये 400/– प्रतिमाह
4. माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण 2 वर्ष तक रुपये 400/– प्रतिमाह

आवश्यक नियमः

1. उच्च माध्यमिक परीक्षा/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के परिणामस्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ एक वर्ष पश्चात् अगले वर्ष के लिये तभी देय होगी जब संबंधित अभ्यर्थी आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित (विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रहा हो) प्रथम प्रयास में ही सफल होकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक पूर्ण योग में प्राप्त करें।
2. संकाय/पाठ्यक्रम बदलने हेतु किसी कक्षा में, जिसमें वह एक वर्ष पढ़कर उत्तीर्ण हो चुका है, उसी में पुनः प्रवेश लेने वाले छात्र को कोई छात्रवृत्ति नही दी जावेगी।
3. उपरोक्त छात्रवृत्ति छात्र को इसी शर्त पर दी जावेगी कि वह मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन चालू रखें।
4. यदि कोई छात्र पाठ्यचर्या के माध्यम में अपना अध्ययन छोड देगा तो जिस तिथि को वह संस्था छोड़ेगा उसी तिथि से उसे छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया जायेगा।
5. छात्रवृत्तियां तभी देय होगी जब संस्थाओं के प्रधानों की, जिनमें छात्रवृत्ति के प्रापक अपना अध्ययन चालू रख रहे हों तथा ऐसे छात्रों के अध्ययन, आचरण और उपस्थिति संबंधी रिपोर्ट संतोषजनक हो। असंतोषजनक रिपोर्ट पर छात्रवृत्ति बंद कर दी जावेगी।
6. प्रथम बार छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति बिल प्रपत्र, छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित घर के पते पर, पंजीकृत डाक से अगले वर्ष जुलाई माह में भिजवाये जाते हैं, जिन्हें छात्र जिस शिक्षण संस्थान में वर्तमान में अध्ययनरत हों उससे अग्रेषित करवाकर तथा इस वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति सहित बोर्ड कार्यालय को भिजवायेंगे।

देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

विशेष पिछड़े वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)) के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निम्न प्रकार के नियम बनाये गये है। यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।

पात्रता की शर्तें:

1. छात्र राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विशेष पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
3. आवेदक के माता–पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 1,08,000 रुपये (शब्दों में एक लाख आठ हजार रुपये) तक हो।
4. यह छात्रवृत्ति किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में, मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु देय होगी।
5. जो छात्र अपना अध्ययन पत्राचार (Correspondence) के माध्यम से भी जारी रखते हैं, वे भी छात्रवृत्ति के पात्र होंगे।
6. एक ही माता–पिता/संरक्षक के सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे।

इंस्पायर (INSPIRE) छात्रवृत्ति

विज्ञान विषय में उच्च अध्ययन हेतु रुपये 80,000/– वार्षिक की छात्रवृत्ति योजना

प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में विज्ञान विषय के प्रति आकर्षित करने हेतु INSPIRE छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 से Top 1% में स्थान प्राप्त विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को B.Sc या M.Sc Integrated Courses/ MS में प्रवेश लेने पर प्रतिवर्ष रुपये 80,000/– की छात्रवृत्ति देय है।

विद्यालय से प्राप्त INSPIRE छात्रवृत्ति पात्रता–पत्र को भरे हुए आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) भारत सरकार, टेक्नोलॉजी भवन, नया महरोली मार्ग, नई दिल्ली–110016 को प्रेषित करना होगा।

निःशक्त छात्रवृत्ति

पात्रताः 40% से अधिक निःशक्तता वाले कक्षा 1 से उच्च स्तर तक की कक्षाओं में अध्ययनरत निःशक्त छात्र/छात्राएँ

सुविधाएँः कक्षा व कोर्स के अनुसार 40 रुपये से 750 रुपये तक प्रतिमाह वृत्तिका एवं शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण।

क्रियान्वितिः जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

खण्ड (स)

1. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा
2. राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा
3. ग्रामीण प्रतिभावान परीक्षा
4. नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा
5. नेशनल मीन्स कम मैरिट छात्रवृत्ति योजना
6. शिक्षक कल्याण कार्यक्रम एवं हितकारी निधि योजना
7. अध्यापक कल्याण कोष न्यास से छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रथम स्तर पर चयनित 234 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित द्वितीय स्तर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित द्वितीय स्तर परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों में से प्रति वर्ष कक्षा 10वीं उत्तीर्ण 1000 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर रु. 500 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक प्रदान की जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों के लिए अधिकतम क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत आरक्षण होगा। छात्रवृत्ति चयन हेतु प्रथम स्तर की परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कराया जाता है।

परीक्षा शुल्क की राशिः–

सामान्य अभ्यर्थी हेतु 100 रु. प्रति परीक्षार्थी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्त अभ्यर्थी हेतु 70 रु. प्रति परीक्षार्थी। उक्त परीक्षा के लिए शुल्क के अतिरिक्त प्रति परीक्षार्थी को अग्रेषण शुल्क रुपये 5/– अलग से देना होगा।

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएंः–

– परीक्षा में वे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने कक्षा 9 में हिन्दी, अँग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत (तृतीय भाषा) विषयों में समग्र रूप से सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अधिक अंक प्राप्त किए हों। आरक्षित वर्ग हेतु यह सीमा 50 प्रतिशत रहेगी।

– विद्यार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययनरत होना चाहिए।

विद्यार्थियों हेतु निर्देशः–

1. एक ही दिन में निरन्तर दो सत्रों में परीक्षा आयोजित होगी– प्रथम सत्र– मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT), द्वितीय सत्र् शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होंगे जिन्हे 90 मिनट में हल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नम्बर का होगा।

आवश्यक दिशा निर्देश हेतु *NCERT की वेबसाइट*/राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाईट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

www.ncert.nic.in or www.rajeduboard.nic.in

पाठ्यक्रमः–

1. **मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)**– इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, सोचने की योग्यता, निर्णय–योग्यता, मूल्यांकन एवं विभेदीकरण आदि की परख की जाती है।

2. **शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)**– राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 व 10 के स्तर का रहेगा। SAT के प्रश्न पत्र में विषयवार प्रश्नों का विभाजन निम्नानुसार होता है।

भौतिक विज्ञान	–	12 प्रश्न
रसायन विज्ञान	–	11 प्रश्न
जीव विज्ञान	–	12 प्रश्न
गणित	–	20 प्रश्न
इतिहास	–	10 प्रश्न
भूगोल	–	10 प्रश्न
राजनीति विज्ञान	–	10 प्रश्न
अर्थशास्त्र	–	5 प्रश्न
कुल		**90 प्रश्न**

राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली इस परीक्षा में समस्त राज्य/केन्द्रीय मान्यता प्राप्त (केन्द्रीय पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेन्ट, निजी, सरकारी, अर्द्ध सरकारी आदि) विद्यालय के कक्षा–10 में नियमित रूप से अध्ययनरत् छात्र/छात्राएँ जिन्होंने कक्षा–9 की विद्यालयी वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, प्रवेश योग्य है। उक्त परीक्षा जिला मुख्यालयों सहित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर होती है।

परीक्षा शुल्क की राशिः–

– सामान्य अभ्यर्थी हेतु 85 रु. प्रति परीक्षार्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हेतु 60 रु. प्रति परीक्षार्थी एवं निःशक्तजन अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है।

– उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त प्रति परीक्षार्थी अग्रेषण शुल्क 5 रुपये अलग से देना होगा।

परीक्षा आवेदन पत्र का प्रारूप, केन्द्र सूची, पाठ्यक्रम एवं विस्तृत निर्देश, बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध है।

पाठ्यक्रम– निम्न विषयों के 25–25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित कुल 150 प्रश्नों की परीक्षा आयोजित की जाती है।

(अ) भौतिक विज्ञान (ब) रसायन विज्ञान (स) जीव विज्ञान
(द) गणित (य) दिन प्रतिदिन विज्ञान (र) विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान

परिणाम एवं पुरस्कार

	प्रथम	**द्वितीय**
राज्य स्तरीय	4000/– रु. एवं विशेष योग्यता प्रमाण पत्र एवं योग्यता गौरव पदक	शेष 19 को 2000/– नकद व योग्यता प्रमाण पत्र
जिला स्तर	2000/–	1000/–

विशेषः– परीक्षा में 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वालों को प्रशंसा प्रमाण पत्र डाक द्वारा भिजवाया जाता है।

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा

भारत तथा अन्यत्र कहीं भी दी जाने वाली विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय प्रणाली एक अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग की महत्ता ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्य मानकर किये गये चयन तथा उन्हें उच्च कोटि की ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने में निहित है जो आवासीय विद्यालयों में दी जाने वाली श्रेष्ठ शिक्षा के तुलनीय है।

प्रवेश परीक्षाः–

नवोदय विद्यालयों में प्रवेश कक्षा–6 के स्तर पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जैसा कि अब तक की स्थिति में छात्रों का कक्षा–9 में भी आंशिक प्रवेश का प्रावधान किया गया है।

– वे सभी बच्चे जिन्होंने उसी जिले के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिनकी आयु 9 से 13 वर्ष के बीच हो कक्षा–6 की प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं।

– www.navodaya.nic.in

– सीटो का आरक्षण – (ग्रामीण) न्यूनतम – 75%
(शहरी) अधिकतम – 25%

– बालिकाओं के लिए आरक्षित सीटें – 33%

नेशनल मीन्स कम मैरिट छात्रवृत्ति योजना

योजना का नामः	नेशनल मीन्स कम मैरिट छात्रवृत्ति योजना (NMMS)
योजना का संक्षिप्त परिचयः	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (NMMS) शीर्षक से यह योजना 2008 से प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत कक्षा 8 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जिनके अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से आय 1,50,000 रुपये से अधिक न हो, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 6000 रुपये की दर से निर्धारित मानदण्ड पूरे करने पर कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर दी जाती है। इस योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को (विद्यालय परित्याग दर को रोक कर) कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करना है। राज्य में कुल 5471 छात्र–छात्राओं की यह छात्रवृत्ति स्वीकृत है।
प्रारम्भ होने का वर्षः	2008–09
लाभान्वित वर्गः	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थी
पात्रताः	एन.एम.एम.एस. छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा में केवल राजकीय विद्यालय के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे जिन्होंने कक्षा 7 में 55 प्रतिशत एवं अधिक अंक (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत/तृतीय भाषा में समग्र रूप में) प्राप्त किये हों। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु यह सीमा 50 प्रतिशत होगी। यह परीक्षा एक स्तरीय होती है।
देय सुविधाएंः	6000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक निरन्तर। (राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होन पर)
आवेदन का तरीकाः	परीक्षा का आयोजन एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा किया जाता है। परीक्षा हेतु विज्ञप्ति अखबार में जुलाई/अगस्त माह में प्रकाशित कि जाती है।
आवेदन किसे किया जावेः	एन.एम.एम.एस. छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा हेतु आवेदन अनुमोदित परीक्षा केन्द्रो के माध्यम से निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर को किया जावे।
आवेदन के साथ औपचारिकताएंः	एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार एवं वांछित पात्रता पूर्ण करने पर।
सम्पर्क सूत्रः	1. एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर (नोडल अधिकारी) (राज्य स्तर) 2. संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी। (जिला स्तर)
शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारीः	एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर (नोडल अधिकारी) एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

शिक्षक कल्याण कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली की योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षकों के 100 बच्चों को अध्ययनार्थ 15000/– रुपये प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार हितकारी निधि अन्तर्गत कर्मचारी के बच्चों को तकनीकी/प्रोफेशनल शिक्षा के अन्तर्गत 1500/– से 2500/– रुपये तक की सहायता दी जाती है।

अध्यापक कल्याण कोष न्यास से छात्रवृत्ति

1. यह छात्रवृत्ति सेवारत/सेवानिवृत एवं दिवंगत अध्यापक के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को ही दी जाती है।
2. अध्यापक की स्वयं की एवं पत्नी की (यदि पत्नी सेवारत हो) अथवा दिवंगत/सेवारत अध्यापक के परिवार की समस्त संसाधनों से वार्षिक आय 600000 अथवा इससे कम हो।
3. छात्रवृत्ति, सीनियर सैकण्डरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च अध्ययन करने वालों को ही दी जायेगी। सैकण्डरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
4. परिवार में से केवल एक ही पुत्र/पुत्री को छात्रवृत्ति देय होगी।
5. छात्रवृत्ति अध्यापक के परिवार की आय एवं छात्र/छात्रा के परीक्षाफल के आधार पर ही दी जावेगी।
6. आवेदन की ऑनलाईन पूर्ति करने के पश्चात् उसे सचिव, अध्यापक कल्याण कोष न्यास, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जाना है।
7. छात्रवृत्ति निम्नानुसार होगी एवं उन्हीं को दी जायेगी जिनको किसी अन्य स्त्रोत से सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	छात्रवृत्ति दर
1.	महाविद्यालय, बी.एस.टी.सी., आई.टी.आई., पंचवर्षीय एलएलबी, कम्प्यूटर साइन्स सैकण्डरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण छात्रों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु	रु. 200/– प्रतिमाह
2.	पोलिटेक्नीक अथवा समकक्ष डिप्लोमा, नर्सिंग, फार्मेसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु	रु. 300/– प्रतिमाह
3.	बी.एड. हेतु	रु. 400/– प्रतिमाह
4.	तकनीकी एवं व्यावसायिक यथा मेडिकल, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., वेटरिनरी, आई.आई.टी. पाठ्यक्रम हेतु	रु. 500/– प्रतिमाह

अध्यापक की परिभाषाः–

अध्यापक का अर्थ उस अध्यापक/अध्यापिका से है जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 5 वर्ष से अध्यापन कार्य में संलग्न है तथा कम से कम 2 वर्ष तक सैकण्डरी, प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय कक्षाओं के शिक्षण से सम्बन्धित हो अथवा रहा हो एवं साथ ही बोर्ड की उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु परीक्षक के रूप में पंजीकृत हो। इस श्रेणी में सेवानिवृत्त अध्यापक/अध्यापिका भी सम्मिलित हैं। विस्तृत जानकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध है।

कार्यकारी दल

1. श्री नरेश चन्द्र डांगी – प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. सुखेर, उदयपुर
2. श्री बसन्ती लाल जैन– प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. लकड़वास, उदयपुर
3. श्री हीरालाल व्यास– प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. कुराबड़, उदयपुर
4. श्रीमती प्रीति शर्मा– प्रधानाचार्या, रा.बा.उ.मा.वि. वल्लभनगर, उदयपुर
5. श्री जीवन सिंह राठौड– अति. ब्लॉकप्रा.शि.अधि., पं.स. भीण्डर, उदयपुर
6. श्री निरंजन पटवारी– प्र.अ., रा.उ.प्रा.वि. सराय, उदयपुर
7. श्री गिरीश कुमार चौबीसा– संदर्भ व्यक्ति, एस.एस.ए., भीण्डर, उदयपुर
8. श्रीमती सुनीता जैन–अध्यापिका, रा.प्रा.वि. मोकेला (गोगुन्दा), उदयपुर
9. श्री राकेश शर्मा – व. अध्यापक, रामावि शक्तावतों का गुड़ा, उदयपुर
10. डॉ. इन्द्रा चौहान – अनुसन्धान सहायक, रा.रा.शै.एवं अ.प्र.संस्थान, उदयपुर
11. श्री भरत किशोर चौबीसा – अनुसंधान सहायक, रा.रा.शै.एवं अ.प्र.संस्थान, उदयपुर

छात्रवृत्ति की जानकारी हेतु Website

Rajasthan Govt.(Jaipur) की website	www.rajshiksha.gov.in
Primary/ Secondary Ed. की web. -	www.rajeduboard.nic.in
अल्पसंख्यक विभाग की website -	www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना -	www.sipf.rajasthan.gov.in
नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा -	www.navodaya.nic.in